

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-एन.एम.एस.ए.को.-पो.स्वी.-01/2014-02/क०, पटना, दिनांक-29/09/2014

प्रपत्र,

विश्वनाथ चौधरी,
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(1) अनाजकारिक एवं
अ प्रशासनीय। द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय

केन्द्र प्रयोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) के अधीन वर्ष 2014-15 में घटक योजना रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट अन्तर्गत 1041.516 लाख रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश

स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि मिशन NMSA योजना प्रारम्भ किया गया है। इस योजना अन्तर्गत चार घटक योजनाएँ यथा (i) Rainfed Area Development (RAD), (ii) On Farm Water Management (OFWM), (iii) Soil Health Management (SHM), (iv) Climate Change and Sustainable Agriculture Monitoring, Modelling and Networking (CCSAMMN) सम्मिलित हैं। उत्कल भारत सरकार द्वारा RAD घटक योजना अन्तर्गत 1041.516 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसके आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रांश मद से 1041.516 लाख रुपये के लागत पर RAD योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 जनसंख्या वृद्धि, जलवायु परिवर्तन तथा गर कृषि कार्यों में खेती योग्य भूमि एवं जल के उपयोग के कारण कृषि के लिए दुर्नीयता काफी बढ़ गई है। विशेषकर रेनफेड एरिया में मिछाई जल की असमान्य उपलब्धता एवं निरंतर व्यवस्था के कारण कृषि एक कठिन एवं अनिश्चिततापूर्ण तथा अलाभकारी कार्य हो गया है। वर्तमान में अन्न उत्पादन में आयी स्थिरता और भोजन की तन्नाम जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती का उर्ध्वाधर विस्तार आवश्यक हो गया है। फलस्वरूप कृषि में विभिन्न घटकों के समावेश, सीमित भूमि में प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबंधन तथा जोखिम को कम करते हुए कम समय में अधिक आय और राजगार सृजित किए जाने की आवश्यकता है। टिकाव राजगारप्रद तथा लाभप्रद खेती के लिए समेकित कृषि प्रणाली को अंगीकृत किया जाना है। इसके तहत कृषि कार्य के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, पशुधन, बागवानी, वानिकी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, वर्मीकम्पोस्ट एवं मशरूम उत्पादन को किसान के पास उपलब्ध जात, संसाधन, स्थानीय पारिस्थितिकी तथा बाजार माँग के अनुरूप समायोजित कर कृषि लागत को कम करके आय बढ़ाने तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने पर बल दिया जाएगा। इससे कृषि के साथ प्राकृतिक संसाधनों की अक्षुण्णता भी बनी रहेगी और किसानों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आयेगा।

3. यह एक केन्द्र प्रयोजित योजना है जिसमें शत प्रतिशत राशि केन्द्रांश मद से व्यय की जाएगी।

4. वर्तमान में राज्य के आठ जिला जहाँ वर्षा आधारित खेती का क्षेत्रफल तुलनात्मक रूप से अधिक है एवं पूर्व से एन0डब्लू0डी0पी0, आई0डब्लू0एम0पी0 योजना के तहत कार्य चल रहे हैं, को

1-285

शामिल किया गया है। इसमें रेनफेड क्षेत्रों में समेकित कृषि प्रणाली को कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें चार प्रकार के कृषि प्रणाली मॉडल यथा Horticulture based, Livestock based, Dairy based & Crop system based farming system के अन्तर्गत योजना कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें किसानों को विभिन्न प्रकार के उपादानों एवं कार्यक्रमों के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

5. भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो अनुसूची 1 के रूप में संलग्न है।

6. योजना का कार्यान्वयन क्लस्टर में किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के फसल प्रणाली के लिए अलग-अलग क्षेत्रफल के क्लस्टर का चयन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में विभिन्न फसल प्रणाली के लिए कुल 12 क्लस्टर में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उद्यान आधारित कृषि प्रणाली अन्तर्गत 100 हे० के कुल 4 क्लस्टर (400 हे०), पशुधन आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत 122 हे० के कुल 4 क्लस्टर (488 हे०), डेयरी आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत 82 हे० के कुल 2 क्लस्टर (164 हे०) तथा फसल आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत 191 हे० के कुल 2 क्लस्टर (382 हे०) में योजना कार्यान्वित की जाएगी। उद्यान आधारित कृषि प्रणाली में एवं पशुधन आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 25 हजार रुपये का अनुदान देय होगा, डेयरी आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 40 हजार एवं फसल आधारित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभार्थी को अधिकतम दो हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जा सकेगा। जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी योजना कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार होंगे।

7. कुल उद्बध्य राशि का 50 प्रतिशत राशि लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए व्यय किया जाएगा जिसमें से कम से कम 30 प्रतिशत लाभार्थी महिला होंगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जाति के लिए 1 प्रतिशत राशि कर्णांकित की जाएगी। योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा संसूचित मार्गदर्शिका एवं इसमें समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार किया जायेगा।

8. भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा प्राप्त निदेश के अनुरूप राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति योजना की स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण करेगी। राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों सहित प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की योजना में आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं परामर्श के लिए स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमिटी कृषि निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करेगी। कृषि निदेश मिशन निदेशक होंगे। जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला मिशन समिति (डी०एम०सी०) परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत वित्तीय अधिसीमा के अधीन आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

9. विचित्र वर्ष के दौरान योजना के उद्बध्य में वृद्धि होने की स्थिति में विभाग द्वारा भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य इस प्रस्ताव में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकेगा।

10. कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या I-23/2014-RFS-III Dated 17 July 2014 द्वारा कुल 1041.516 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुयी है।

11. केन्द्रांश की राशि 2401 फसल कृषि कर्न लघु शीर्ष 105 - खाद एवं उर्वरक, मॉग संख्या-1 उप शीर्ष 0207 - राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड-पी० 2401001050207, विषय शीर्ष-3106 से विकलनीय होगा।

12. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, पटना से बामेती द्वारा उपलब्ध कराये गये पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर BTC Form 42 पर की जाएगी। यह राशि सहायक अनुदान के रूप में बिहार प्रबंधन-सह-प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) द्वारा कृषि निदेशक-सह-मिशन निदेशक एन०एम०एस०ए० योजना से परामर्श के आलोक में जिलों/कार्यान्वयन एजेंसी को राशि विमुक्त की जाएगी।

13. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96 वि० (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में माननीय मंत्री, कृषि एवं माननीय मंत्री, वित्त की स्वीकृति क्रमशः दिनांक

16/8

28.08.2014 एवं 19.09.2014 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति सचिका संख्या- एन.एम.एस.ए.को.-यो.स्वी.-01/2014-के टिप्पणी पृ0सं0- 7 एवं 11/टि0 पर प्राप्त है।

14. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या- एन.एम.एस.ए.को.-यो.स्वी.-01/2014 के पृ0सं0-13/टि0 पर दिनांक- 26.09.2014 को प्राप्त है।
बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विश्वनाथ चौधरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक -एन.एम.एस.ए.को.-यो.स्वी.-01/2014-02/कृ0, पटना, दिनांक- 29/09/2014
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द प्रतेज पटेल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक -एन.एम.एस.ए.को.-यो.स्वी.-01/2014-02/कृ0, पटना, दिनांक- 29/09/2014
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक -एन.एम.एस.ए.को.-यो.स्वी.-01/2014-02/कृ0, पटना, दिनांक- 29/09/2014
प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक -एन.एम.एस.ए.को.-यो.स्वी.-01/2014-02/कृ0, पटना, दिनांक- 29/09/2014
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/उद्यान निदेशक, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, गया, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई, बांका, रोहतास, कैमूर/संयुक्त कृषि निदेशक उपयोगी अनुसंधान, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, मुंगेर, गया, पटना/ उप कृषि निदेशक, कन्द्रीय मिट्टी जल प्रयोगशाला, बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, गया, नवादा, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई, बांका, रोहतास, कैमूर/ बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक -एन.एम.एस.ए.को.-यो.स्वी.-01/2014-02/कृ0, पटना, दिनांक- 29/09/2014
प्रतिलिपि : उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

NATIONAL MISSION FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE (2014-15)

Physical and Financial Target For Rain Fed Area Development Programme under NMSA

Farming System																		
Sl	Name of District	Horticulture Based			Dairy Based			Livestock Based			Crop Based			Contingency (Management cost)	Total			
		Physical	Fin	No. of Cluster	Physical	Fin	No. of Cluster	Physical	Fin	No. of Cluster	Physical	Fin	Phy		Fin			
		No. of Cluster	Area (ha)	(in lakh)	No. of Cluster	Area (ha)	(in lakh)	No. of Cluster	Area (ha)	(in lakh)	No. of Cluster	Area (ha)	(in lakh)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Gaya	1	100	82.38	0	0	0.00	1	122	82.90	1	191	78.85	1.50	3	245.63		
2	Aurangabad	0	0	0.00	1	82	86.55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.50	1	87.05		
3	Nawada	1	100	82.38	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1.00	1	83.38		
4	Jamui	1	100	82.38	0	0	0.00	1	122	82.90	0	0	0.00	1.00	2	166.28		
5	Banka	0	0	0.00	0	0	0.00	1	122	82.90	0	0	0.00	0.50	1	83.40		
6	Munger	1	100	82.38	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.50	1	82.88		
7	Rohtas	0	0	0.00	1	82	86.55	1	122	82.90	0	0	0.00	0.50	2	169.95		
8	Kamur	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	191	78.85	0.50	1	79.35		
9	State Level	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.596	0	43.596		
	Total	4	400	329.52	2	164	173.10	4	488	331.60	2	382	157.70	49.596	12	1041.516		

28/9/14

National Mission for Sustainable Agriculture- Bihar

Abstract of Annual Action Plan (2014-15) of Bihar

Sl.	Type of IFS Model	Permissible Unit Cost (Rs. In Lakhs)	Quantity (ha/No.)	Pattern of Assistance %	Assistance admissible /supported lakhs
-----	-------------------	---	----------------------	----------------------------	--

Horticulture based farming system per Clusters (100 ha)

IFS					
1	Horticulture based System/ ha	0.25	60	50	15.00
2	Livestock Based System/ ha	0.25	18	50	4.50
3	Dairy Based System/ ha	0.40	20	50	8.00
4	Fisheries based / ha	0.25	2	50	0.50
Sub total IFS			100		28.00

RCT/value addition

1	G+ polyhouse- tubular (0.1 ha) @ 468/sqm	4.68	1	50	4.68
2	low tunnel polyhouse (0.1 ha) @ 30/sqm	0.30	2	50	0.60
3	Post harvest/ no.	2.00	3	50	6.00
4	Apiculture/ colony	0.008	200	50	1.60
5	water harvesting (farm pond individual)/no	0.75	5	50	3.75
6	water harvesting Tank(community tank)/no.	20.00	1	50	20.00
7	lank restoration/ no.	0.15	4	50	0.60
8	tube-well/no.	0.25	20	50	5.00
9	supply pipe/no.	0.10	24	50	2.40
10	solar pump installation/ no.	0.50	1	50	0.50
11	disel pump/electric pump/no.	0.15	25	50	3.75
12	lining of tank/pond/ha	0.25	2	50	0.50
13	vermicompost permanent unit/no.	0.50	5	50	2.50
14	Green manuring/ ha	0.02	25	50	0.50
15	training IFS/Rc /no	0.10	10	100	1.00
16	exposure visit/no	0.20	5	100	1.00
Sub total RCT					54.38
total horticulture based farming system for one cluster (IFS+RCT/VA)					82.38

82.38

Annexure-1.2

National Mission for Sustainable Agriculture- Bihar

Abstract of Annual Action Plan (2014-15) of Bihar

Sl.	Type of IFS Model	Permissible Unit Cost (Rs. in Lakhs)	Quantity (ha/No.)	Pattern of Assistance %	Assistance admissible /supported lakhs
-----	-------------------	---	----------------------	----------------------------	--

Dairy based farming system per Clusters (82 ha)

IFS

1	Horticulture based System/ ha	0.25	20	50	5.00
2	Livestock Based System/ ha	0.25	10	50	2.50
3	Dairy Based System/ ha	0.40	50	50	12.50
4	Fisheries based / ha	0.25	2	50	0.50
Sub total IFS			82		20.50

RCT/value addition

1	GH low tunnel (0.1 ha) @ 30/som	0.30	1	50	0.30
2	Apiculture/ colony	0.008	20	50	1.60
3	Silage Unit/ no.	1.250	4	100	5.00
4	Post harvest/ no.	2.00	5	50	10.00
5	water harvesting (farm pon individual)/no	0.75	5	50	3.75
6	water harvesting Tank/community tank/no.	20.00	1	50	20.00
7	tank restoration/ no.	0.15	5	50	0.75
8	tube-well/no.	0.25	20	50	5.00
9	supply pipe/no.	0.10	25	50	2.50
10	solar pump installation/ no.	0.50	25	50	3.75
11	disel pump/electric pump/no.	0.15	20	50	0.50
12	vermicompost permanent unit/no.	0.50	25	50	12.50
13	training IFS/RCT/no.	0.10	2	100	0.20
14	exposure visits/no.	0.20	1	100	0.20
Sub total RCT					66.05
total Dairy based farming system for one cluster (IFS+RCT/VA)					86.55

12/06/14

National Mission for Sustainable Agriculture- Bihar

Abstract of Annual Action Plan (2014-15) of Bihar

Sl.	Type of IFS Model	Permissible Unit Cost (Rs. In Lakhs)	Quantity (ha/No.)	Pattern of Assistance %	Assistance admissible /supported lakhs
-----	-------------------	---	----------------------	----------------------------	--

Livestock based farming system per Clusters (122 ha)

IFS

1	Horticulture based System/ ha	0.25	10	50	2.50
2	Livestock Based System/ ha	0.25	75	50	18.00
3	Dairy Based System/ ha	0.40	10	50	4.00
4	Cropping based farming system	0.10	25	50	2.50
5	Fisheries based / ha	0.25	2	50	0.50
Sub total IFS			122		27.50

RCT/value addition

1	GH polyhouse tubular (0.1 ha) @ 468/sqm	4.68	1	50	4.68
2	low tunnel polyhouse (0.1 ha) @ 30/sqm	0.30	2	50	0.60
3	Apiculture/ colony	0.008	200	50	1.60
4	Post harvest/ no.	2.00	3	50	6.00
5	water harvesting (farm pon-individual)/no	0.75	5	50	3.75
6	water harvesting Tank(community tank)/no	20.00	1	50	20.00
7	tank restoration/ no.	0.15	3	50	0.45
8	tube well/no.	0.25	20	50	5.00
9	supply pipe/no.	0.10	28	50	2.80
10	solar pump installation/ no.	0.50	1	50	0.50
11	diesel pump/electric pump/no.	0.15	27	50	2.80
12	lining of tank/pond/ha	0.25	2	50	0.50
13	vermicompost permanent unit/no	0.50	7	50	3.50
14	HDPc Bed	0.08	10	50	0.80
15	Green manuring/ ha	0.02	21	50	0.42
16	training IFS/RC/no.	0.10	10	100	1.00
17	exposure visits/no	0.20	5	100	1.00
Sub total RCT					55.40
total livestock based farming system for one cluster (IFS+RCT/VA)					82.90

V. Abg PM

National Mission for Sustainable Agriculture- Bihar

Abstract of Annual Action Plan (2014-15) of Bihar

Sl.	Type of IFS Model	Permissible Unit Cost (Rs. in Lakhs)	Quantity (ha/No.)	Pattern of Assistance %	Assistance admissible /supported lakhs
-----	-------------------	---	----------------------	----------------------------	--

Cropping based farming system per Clusters (191 ha)

IFS

1	Horticulture based System/ ha	0.25	25	50	6.25
2	Livestock Based System/ ha	0.25	4	50	1.00
3	Dairy Based System/ ha	0.40	10	50	4.00
4	Cropping based farming system with one/ more alternative farm based interventions like peripheral plantation of hort, trees, poly house etc.	0.10	150	50	15.00
5	Fisheries based / ha	0.25	2	50	0.50
Sub total IFS			191		26.75

RCT/value addition

1	Gt-poly house tubular (0.1 ha) @ 468/sqm	4.68	1	50	4.68
2	Gt-low tunnel (0.1 ha) @ 30/sqm	0.30	2	50	0.60
3	Apiculture/ colony	0.008	200	50	1.60
4	Silage Unit/ no.	1.250	2	100	1.25
5	Post harvest/ (50sqm)/no.	2.00	5	50	10.00
6	water harvesting Tank (aerri pond individual)/no.	0.75	10	50	7.50
7	tank restoration/ no.	0.15	3	50	0.45
8	tube well/no.	0.25	20	50	5.00
9	supply pipe/no.	0.10	23	50	2.30
10	diesel pump/electric pump/no	0.15	22	50	3.30
11	lining of tank/pond/ha	0.25	2	50	0.50
12	permeant unit/vermicompost/no	0.50	25	50	12.50
13	Green manuring/ha	0.02	21	50	0.42
14	training IFS/RC/no.	0.10	10	100	1.00
15	exposure visits/no	0.20	5	100	1.00
Sub total RCT					52.10
total Cropping based farming system for one cluster (IFS+RCT/va)					78.85

Page 1/1